फर्द अहकाम

ओमप्रकाश सैनी वगै0 बनाम कल्याण वगै0

पत्र संख्या: 131 / 2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.05.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाब पेश होने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका भू0अ0नि0क्षे0 वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 4727, 4731, 4732/1, 6916/4724, 6918/4726, 6920/4728, 6922/4729, 6924/4730 कुल किता 8 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 31.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	जारी 3044-51 24/5/24
31/5/24	प्रकरण पेश हुआ। वकील प्रार्थीगण उप. प्रार्थीगण ने रजिस्ट्री रसीदों की प्रति पेश की। अप्रा. कि. दी. वास्ते गो. तामील हेतु दि0 24/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
4/7/24	पत्रावली प्रकरण में बिना प्रार्थना ... तलब की गई। प्रकरण ... किये जाने के आधार ... हो इस टीआई प्रार्थना पत्र का आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है अतः प्रार्थना पत्र टीआई खारिज किया जाता है। पत्रावली बैठक शुमार हो, दर्ज निस्तारण हो, बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:34:58 IST
Reason: SelfAttested